

न्यायालय लखनऊ कलम (अलख) राज.

प्रकार जारि रिपोर्ट पटवारी हल्का

हल्का

बनाम

मुकेश जीतराम पिठुशीराम जयक

प्रकरण अर्थात् वाद नएलवार मुकद

खेडली तफरेला

निर्णय दिनांक :- 28/3/19

प्रकरण संख्या - RA/80/2018

नयावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यान 310 (खेडली तफरेला)

की आ.ख.नं. 160 कुल रकमा 0-09 किया जावेगा मोठु में से 0-01

रकम पर श्री मुकेश जीतराम पिठुशीराम पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर

धुवातकडीडा काका कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का हल्का द्वारा दिनांक 27/8

2018 को उसके विरुद्ध यामूनी वामधारी किन्हे जाने की रिपोर्ट मध लाईव

भू.अ.निरी. कारोवा के द्वारा प्रस्तुत किन्हे जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिक्रमी मुकेश जीतराम 310 जाति जाव निवासी खेडली तर्फ को भू.

राज्य अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किन्हे गये नोटिस का तामील

करवाई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शानिल नयावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। तबवा नोटिस पेश किया जो शानिल पत्रवली है।

उक्त रकमा आ.ख.नं. 160 रकमा 0:09 में से 0:01

रकमे किरम मोठु के जो निरगत न गये गये है किहाजा नौरसाम का अतिक्रमण

रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाने में एक रुपय स्वरुप जमान 6Paise का

50 गुणा 3k रकमे पैन्वली आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु सीआरए को लिखा

जावे, पैन्वली तपूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी हल्का भू.अ.निरी. कारोवा

को लिखा जाकर वाद तामील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

लखनऊ
न्यायालय
कलम, अलख (राज.)

अतिरिक्त :- प. ६